



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Revision Petition No. 1766/2023

Prahlad Meena Son Fo Shri Ramnath Meena

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Utkarsh Goyal, Adv.

For Respondent(s) : Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

01/07/2025

विद्वान अधिवक्ता याची का निवेदन है कि अयाची क्रम-2 वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक, उदयपुर के पद पर पदस्थापित है तथा पदीय प्रभाव के कारण पुलिस नोटिस तामील नहीं करवा रही है और प्रकरण लम्बे समय से लंबित चला आ रहा है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नोटिस डाक से भेजे गये थे, लेकिन सही पता अंकित नहीं होने की रिपोर्ट के साथ अदम तामील आया है, पुलिस के माध्यम से भी नोटिस भेजे गये थे, लेकिन पुलिस विभाग को अपने महानिरीक्षक की तलाश नहीं हो सकी है। स्पष्ट है कि पुलिस विभाग भी तामील करवाने में अरुचिबद्ध है जो गंभीर विषय है।

सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि विपक्षी क्रम-2 की तामील हेतु नोटिस पुलिस कमीशनर, जयपुर को इस नोट के साथ प्रेषित किये जावें कि वे

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को जहां कहीं विपक्षी पदस्थापित है, व्यक्तिगत भेजकर तामील करावें तथा तामील नहीं होने की स्थिति में पुलिस कमीशनर, जयपुर को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।

प्रकरण दिनांक 15.07.2025 को पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J